झारखण्ड जैव विविधता पर्षद्

(वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार की स्वायत्तशासी एवं वैधानिक निकाय)

अधिसूचना

संख्या– जे०बी०बी०/42/2016/145 रॉंची, दिनांक 13/05/2016

जैव विविधता के संरक्षण, संवहनीय उपयोग तथा प्राप्त लाभों के समुचित बंटवारे की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 पारित किया गया है। जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा–22 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्याः वन्यप्राणी –03/05(खण्ड)–6550; दिनांकः 20.12.2007 के माध्यम से झारखण्ड जैव विविधता पर्षद का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय रॉंची है। राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली वर्ष 2007 में अधिनियमित किये गए हैं।

झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली–2007 के नियम 12(4) के अंतर्गत स्थानीय निकाय स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों को तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाना प्रावधानित है। साथ ही राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (भारत सरकार) के "Guideline" की कंडिका 3.2 के आलोक में जिला स्तरीय तकनीकी सहायता समूह के गठन का उल्लेख है जिसमें शासकीय सदस्यों के रूप में विभिन्न विभागों यथा– कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, वन विभाग आदि से पदाधिकारियों को शामिल किया जाना है। शासकीय सदस्यों के अलावे अन्य गैर शासकीय सदस्यों के चयन का भी प्रावधान है।

उपरोक्त के आलोक में पर्षद् द्वारा संबंधित विभागों से पत्राचार के क्रम में झारखण्ड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारित विभाग के पत्रांक–3633 दिनांक–30.09.2015; पशुपालन निदेशालय के ज्ञापांक–1218 दिनांक–09.10.2015; मत्स्य निदेशालय के पत्रांक–1835 दिनांक–15.09.2015 द्वारा जिला स्तरीय तकनीकी सहायता समूह के गठन हेतु नामित किये गए पदेन सदस्यों के आधार पर राज्य के प्रत्येक जिले के लिए निम्नवत् जिला स्तरीय तकनीकी सहायता समूह का गठन किया जाता है :–

शासकीय सदस्य

1. झारखण्ड जैव विविधता पर्षद् से संबंधित कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित संबंधित जिले के सभी नाभिकी पदाधिकारी (प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले वन प्रमण्डल पदाधिकारी/उप वन संरक्षक, वन्य प्राणी प्रभाग सहित)

13/05

पता– ब्लॉक–डी, वन भवन परिसर, डोरण्डा, रॉंची – 834002 (झारखण्ड)
फोन/फैक्सः 0651–2480655/2482013; ई–मेलः jbbranchi@gmail.com; वेबसाईटः http://jbbjharkhand.org

2. संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी, झारखण्ड
3. संबंधित जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, झारखण्ड
4. संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी, झारखण्ड
5. संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी, झारखण्ड
6. संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड

गैर शासकीय सदस्य

1. संबंधित जिले के वरीयतम नाभिकी पदाधिकारी द्वारा मनोनीत तीन ऐसे व्यक्ति जो जैव विविधता के क्षेत्र में अनुभव रखते हों।

तकनीकी सहायता समूह के कार्य

तकनीकी सहायता समूह का मुख्य कार्य स्थानीय स्तर (पंचायत/नगर निकाय) पर बनायी जाने वाली जन जैव विविधता पंजी (People's Biodiversity Register) के निर्माण के लिए संबंधित जैव विविधता प्रबंधन समिति के क्षेत्र में पायी जाने वाली जैव विविधता के स्थानीय नाम, वैज्ञानिक नाम एवं इससे संबंधित पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण करने में सहायता प्रदान करना आदि है। साथ ही तकनीकी सहायता समूह जैव विविधता प्रबंधन समितियों को शुल्क संग्रहण, प्राप्त लाभांशों का समुचित बंटवारा, जैव विविधता विरासत स्थल का प्रबंधन इत्यादि के संबंध में आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता प्रदान करेगी तथा आवश्यकतानुसार समूह क्षेत्र–भ्रमण भी करेगी।

तकनीकी सहायता समूह की बैठक

संबंधित जिले के वरीयतम नाभिकी पदाधिकारी जिला तकनीकी सहायता समूह की बैठक आहूत करेंगे तथा वे बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों में से किसी एक का चयन अध्यक्ष के रूप में करते हुए बैठक का संचालन किया जा सकेगा। बैठक से संबंधित कार्यवाही, अनुपालन एवं उपस्थिति बैठक के अध्यक्ष द्वारा सदस्य सचिव, झारखण्ड जैव विविधता पर्षद को प्रेषित किया जायेगा।

ह०/–
सदस्य सचिव
झारखण्ड जैव विविधता पर्षद, राँची

पता– ब्लॉक–डी, वन भवन परिसर, डोरण्डा, राँची – 834002 (झारखण्ड)
फोन/फैक्सः 0651–2480655/2482013; ई–मेलः jbbranchi@gmail.com; वेबसाईटः http://jbbjharkhand.org

ज्ञापांक – जे०बी०बी० / 42 / 2016 / 145 राँची, दिनांक 13/05/2016

प्रतिलिपि– झारखण्ड जैव विविधता पर्षद् के सभी नाभिकी पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी जिला कृषि पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी जिला उद्यान पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
सदस्य सचिव
झारखण्ड जैव विविधता पर्षद्, राँची

ज्ञापांक – जे०बी०बी० / 42 / 2016 / 145 राँची, दिनांक 13/05/2016

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारित विभाग / निदेशक, पशुपालन निदेशालय / निदेशक, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / –
सदस्य सचिव
झारखण्ड जैव विविधता पर्षद्, राँची

ज्ञापांक – जे०बी०बी० / 42 / 2016 / 145 राँची, दिनांक 13/05/2016

प्रतिलिपि– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० / –
सदस्य सचिव
झारखण्ड जैव विविधता पर्षद्, राँची

ज्ञापांक – जे०बी०बी० / 42 / 2016 / 145 राँची, दिनांक 13/05/2016

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

13/05
सदस्य सचिव
झारखण्ड जैव विविधता पर्षद्, राँची